भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 756
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के लिए संभारतंत्र

756 श्री विवेक के. तन्खा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यस्थता अधिनियम, 2023 को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी अवसंरचना के विकास, प्रशिक्षण और जागरूकता हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : भारत की मध्यकता परिषद् स्थापित करने के लिए अन्य बातों के साथ निधि आबंटन का अनुमान चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) में दो लाख रुपये हैं ।

(ग) : मध्यकता अधिनियम, 2023 मध्यकता पर एक स्वतंत्र विधि है, जो देश में मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ तथा प्रभावशाली रुप से स्थापित करने के लिए अधिनियमित की गई है। मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन यथाउपबंधित अधिनियम के कुछ उपबंधों को राजपत्र में तारीख 9 अक्तूबर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है । अधिनियम के अधीन अधीनस्थ विधान बनाने के लिए कार्य समूह/समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता श्री पी.के. मल्होत्रा, पूर्व सचिव विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा की गई थी । उक्त कार्य समूह/समिति ने तारीख 31 अगस्त, 2023 को विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा मध्यकता अधिनियम, 2023 के प्रचालन के लिए नियमों, विनियमों के अधीन उपबंधों के एक प्रारूप की सिफारिश की है ।

और, मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 31 के अधीन भारत की मध्यकता परिषद् की स्थापना के लिए अपेक्षित कदम प्रक्रिया में हैं, जो अन्य बातों के साथ देश में मध्यकता के संचालन को व्यवस्थित करने की रूपरेखा के व्यौहार के लिए हैं तथा प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए हैं ।

****